

राजस्थान सरकार

न्यायालय नायब तहसीलदार रुपनगढ जिला-अजमेर

राजस्व मुकदमा नं.

35/2022

किस्म मुकदमा अंतर्गत धारा 91

उनवान

राज.भू राजस्व अधि. 1956

सरकार जरिये प0ह0 रघुनाथपुरा

बनाम

श्री सरदार पुत्र श्री चूना

जाति बावरी नि. रघुनाथपुरा

निर्णय

दिनांक:- 09.09.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि ग्राम रघुनाथपुरा के आराजी खसरा नंबर 274/5 किस्म चारागाह रकबा 0.8737 हैक्टेयर भूमि पर बाड़ा बनाकर अप्रार्थी ने कब्जा कर लिया गया है। जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला अंतर्गत धारा 91 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल हो। अप्रार्थी ने अन्य कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किए। अप्रार्थी ने प्रस्तुत जवाब में स्वयं का अतिक्रमण लम्बे समय से होना स्वीकार किया है। अतः प्रकरण निर्णीत जाता है।

अतः आदेश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी को ग्राम रघुनाथपुरा की आराजी खसरा नंबर 274/5 किस्म चारागाह रकबा 0.8737 हैक्टेयर से बेदखल किया जाता है तथा लगान 3.23 का 50 गुणा 162/- रुपये जुर्माना किया जाता है तथा अप्रार्थी को विवादग्रस्त आराजी से भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं।

पटवारी/टी.आर.ए.मांग कायमी कर वसूली करे तथा विवादित भूमि पर से अप्रार्थी को भौतिक रूप से बेदखल कर कब्जा लेकर रिपोर्ट पेश कर।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। मुकदमा नम्बर से कम हो पत्रावली बाब पूर्ति संग्रह भण्डार हो।



वर्ष 2022-23 रा.ले.सं. 4 के तहत
29 पर रु. 162/- का भाग
कायमी की गई।
तहसील राजस्व लेखाकार
22/9/22

नायब तहसीलदार
रुपनगढ (अजमेर)
तहसील रुपनगढ (अजमेर)